प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

सूचना का अधिकार अपील संख्या 05/2023

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
दिपक परिहार पुत्र बालूराम निवासी–रामपुरा भाटियान, तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ग्रामीण।		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी(अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30 नवम्बर,2023

अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.09.2023 को प्रेषित आवेदन में कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाने तथा सूचना देने के लिये निर्धारित अवधि की गई समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद जो जवाब प्राप्त हुआ, वह अधूरा होने के आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह अपील पेश की गई है तथा लोक सूचना अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषपद जोधपुर को सूचनाएं प्रदान करने के निर्देश देने एवं जिला परिषद कार्यालय से चाही गई सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिये लोक सूचना अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जोधपुर पर अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 30.11.23 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/82/2023/175 दिनांक 28.11.2023 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 3.6.22 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय को पत्रांक 484 दिनांक 7.6.22, 190 दिनांक 15.6.23 को भिजवाने हेतु अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर को लिखा गया, परन्तु जॉच रिपोर्ट आदिनांक तक पआप्त है अतः बिन्दू संख्या एक में चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं हैं। बिन्दू संख्या 2 से 5 की सूचना प्रश्नात्मक होने से प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अनुसार देना अपेक्षित नहीं होने का उल्लेख करते हुए आवेदन अनुसार निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध करा दी गई तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदन में चाही गई सूचनाएं कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने/सूचना प्रश्नगत होने से देय नहीं होने का उल्लेख करते हुए जरिये कार्यालय पत्रांक 167 दिनांक 20.10.23 अपीलार्थी को सूचित किया गया है।

अपीलान्ट सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कार्यालय, जोधपुर से सूचना चाही जाने पर सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपीलान्ट जिला परिषद जोधपुर के प्रथम अपीलीय अधिकारी– जिला प्रमुख के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे में अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होना पाई जाने से अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(भंवरलाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर